



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एक 4 () परावि/पीसी/EU-SPP/2011/पार्ट फाईल/ 567 जयपुर, दिनांक : 30.3.15

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या - 71 /2014-15)

यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधि Demonstration of New Planning Procedure for GP-IWRM Planning as per new methodology के तहत योजनान्तर्गत घयनित 11 जिलों यथा बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द एवं सीकर में GP-IWRM Planning as per new methodology से आई.जी.पी.आर.एस. के माध्यम से तैयार किये जाने है। उक्त गतिविधि हेतु राशि रु. 14,00,000/- (अक्षरे राशि रूपये चौदह लाख मात्र) इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को आनलाईन/ऑफलाईन भुगतान किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

इस राशि के लिये निम्नांकित बजट शीर्ष के सम्मुख अंकित राशि की सीमा तक व्यय करने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी के अधिकार मुख्य अभियन्ता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 17.3.2015 तथा वित्त (आय-व्ययक अनुगांग) विभाग के आदेश दिनांक 24.3.2015 द्वारा विभाग को प्रदत्त किये गये हैं। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है :-

बजट मद

मांग संख्या - 51

2702 - लघु सिंचाई

01 - सतही जल

789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संगठक योजना

(01) - राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम

[01] - अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी. के माध्यम से

08 - वृत्तिक और विशिष्ट सेवाये (आयोजना)

राशि रूपये 14.00 लाख
(अक्षरे राशि रूपये चौदह लाख मात्र)

(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
4. उपशासन सचिव, आयोजना विभाग।
5. मुख्य अभियन्ता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
6. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख हैं कि उपरोक्तानुसार स्वीकृति में वर्णितानुसार राशि का आहरण कर इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के ओ.बी.सी. बैंक, बजाज नगर शाखा के खाता संख्या 10332010004870 के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही करावे।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
10. सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन/रक्षित पत्रावली।

अधिसापी अभियन्ता (टी.सी.)